तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ...
8.3.19	उभय पक्ष [illegible] अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर [illegible] अवकाश पर है / [illegible] है। अतः पत्रावली दिनांक 29.3.19 [illegible] पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
29.3.19	उभय पक्ष उपस्थित [illegible] अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / [illegible] है। अतः पत्रावली दिनांक 14-6-19 [illegible] पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
14-6-19	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित, तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने मौका रिपोर्ट पर बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली मे आदेश हेतु नियत दिनांक 20-6-19 को पेश हो। [signature]	
20.6.19	पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी एंव विपक्षी उपस्थित वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की। जब कि विपक्षी की ओर से प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र को निस्तारण किये जाने की इस्तदुआ की। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया गया। विवादित आराजियात ग्राम हिसनिया पटवार हल्का हिसनिया तहसील माण्डल मे स्थित होकर खातेदार भवर सिंह उर्फ चतरभुज पिता गोपाल सिंह राजपूत के नाम दर्ज रेकार्ड है। जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी [signature]	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
की नकल संवत 2073 से 2076 से होती है प्रार्थी अपनी आराजी नं. 2013/1626 पर आने जाने हेतु बिलानाम काबिल काश्त आराजी नं. 1645 रकबा 17.06 बीघा आराजी मे से आता जाता है, जिसकी ताईद प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदी की नकल संवत 2073 से 2076 से होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो व दस्तावेजो से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपने खातेदारी की आराजी पर आने-जाने का एक मात्र सुगम व सरल मार्ग है। इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है इस प्रकार प्रार्थी अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात पर आने-जाने हेतु 16 फीट का चौडाई वाला रास्ता चाहता है।	
उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रा० पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ। अतः	
:: आदेश ::	
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251-A का स्वीकार किया जाकर ग्राम हिसानिया परवार हल्का हिसानिया तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित हाल आराजी नं. 2013/1626 रकबा 07 बीघा भूमि मे आने-जाने हेतु आराजी नं. 1645 रकबा 17.06 बीघा भूमि बिलानाम मे से 0.05 बिस्वा भूमि यानि 16 फीट-चौडाई वाले रास्ते बाबत भूमि दिये जाने का आदेश दिया जाता है। 16 फीट रास्ते के काम आने वाली भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कर आने वाली भूमि की D.L.C. की दर से डबल गणना करते हुए प्रार्थी से राशि जरिये D.D. या नगद प्राप्त करे। प्राप्त होने	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म ... में जा...
	वाली राशि रास्ते हेतु आने वाली भूमि का भुगतान राजकोष मे जमा करे। भुगतान होने पर रास्ते मे आने वाली भूमि खाते मे से कम की जावे। भूमि को बिलानाम रास्ते हेतु राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करते हुए नक्शे मे तरमीम की जावे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। **उपखण्ड अधिकारी** **मांडल जिला भीलवाड़ा**	